

**फार्म एफ-2**  
**(नियम 3 (2))**

**मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण**

**क. राजकोषीय संकेतक-चालू**

**लक्ष्य**

	2009-10	2010-11	2010-11	2011-12	अगले दो वर्षों के लिए लक्ष्य	
	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	वर्ष+1	वर्ष+2
1. कुल राजस्व प्राप्तियों (टीआरआर) के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा	-4.89	-4.19	-4.79	-5.22	-6.00	-7.00
2. राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा	1.60	3.00	2.31	2.78	3.00	3.00
3. राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के रूप में कुल बकाया देयताएं	14.51	19.23	15.27	16.16	23.00	23.50
4. अन्य लक्ष्य:						
1. ब्याज भुगतान राज्य के स्वयं के राजस्व के प्रतिशत के रूप में	10.77	10.21	9.65	9.22	10.00	11.00
2. प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में	0.60	1.86	1.34	1.83	2.00	2.00
3. ब्याज भुगतान तथा पेंशन कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में	12.83	11.90	11.86	11.33	12.00	13.00

**ख. राजकोषीय संकेतकों में निहित पूर्वानुमान -**

**1. राजस्व प्राप्तियाँ -**

(क) कर-राजस्व और राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरें-कर राजस्व में वृद्धि के उपायों में किये गये प्रयासों के फलस्वरूप गत वर्षों में राज्य के कर राजस्व में अपेक्षा के अनुरूप वृद्धि हुई है। वर्ष 2010-11 में कर राजस्व में अपेक्षा के अनुरूप वृद्धि हुई है। वर्ष

2011-12 में कर राजस्व की प्राप्ति में चालू वर्ष की तुलना में 18.03 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की गयी है । राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 11.57 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की गयी है ।

(ख) करेत्तर राजस्व - राज्य के करेत्तर राजस्व में गत वर्ष के अनुरूप वृद्धि अपेक्षित है । लघु सिंचाई के क्षेत्र में औद्योगिक प्रयोजनों हेतु जल की बिक्री हेतु अग्रिम कर की अदायगी को प्राप्ति में दर्शाया गया है । राज्य के हिस्से में प्राप्त होने वाली केन्द्रीय पूल की बिजली से राज्य सरकार को प्राप्त होने वाली आय को भी करेत्तर राजस्व में शामिल किया गया है । इन सभी मदों को शामिल करने के उपरांत राज्य के करेत्तर राजस्व में चालू वर्ष की तुलना में 7.75 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की गयी है ।

(ग) स्थानीय निकायों को अंतरण - राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर ग्रामीण निकायों को राज्य के शुद्ध कर राजस्व का 4.79 प्रतिशत तथा शहरी निकायों को 1.21 प्रतिशत अंतरण का प्रावधान किया गया है ।

(घ) कुल कर राजस्व के प्रति अपने कर राजस्व का अंश - कुल कर राजस्व में राज्य के स्वयं का कर राजस्व चालू वर्ष के 61.70 प्रतिशत की तुलना में आगामी वर्ष में 61.31 प्रतिशत अनुमानित किया गया है ।

(ङ) कुल करेत्तर राजस्व के प्रति अपने करेत्तर राजस्व का अंश - कुल करेत्तर राजस्व में राज्य के स्वयं के करेत्तर राजस्व का अंश चालू वर्ष में 44.68 प्रतिशत की तुलना में आगामी वित्तीय वर्ष में 44.10 प्रतिशत अपेक्षित है ।

## 2. पूंजीगत प्राप्तियाँ -

(क) केन्द्र से ऋण और अग्रिम - वर्ष 2009-10 में इस मद में राज्य सरकार के पास राशि ` 2307.51 करोड़ का स्टॉक उपलब्ध था जो कि चालू वित्तीय वर्ष में बढ़कर राशि ` 2418.63 करोड़ अनुमानित किया गया है । चालू वर्ष में इस मद में राशि ` 136.94 करोड़ की चुकौती तथा राशि ` 248.06 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है । आगामी वित्तीय वर्ष समाप्ति पर इस मद में राशि ` 2369.57 करोड़ का स्टॉक अनुमानित है ।

(ख) राष्ट्रीय अल्प बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियां - वर्ष 2009-10 में इस मद में राशि ` 4976.11 करोड़ का स्टॉक उपलब्ध था जो कि चालू वित्तीय वर्ष में राशि ` 5425.21 करोड़ अनुमानित की गई है । चालू वर्ष में इस मद में राशि ` 600.00 करोड़ की प्राप्ति तथा राशि ` 150.89 करोड़ की चुकौती अनुमानित है । अगले वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इस मद में राशि ` 5825.29 करोड़ का स्टॉक अनुमानित है ।

(ग) वित्तीय संस्थाओं से उधार - वर्ष 2009-10 की समाप्ति पर विभिन्न वित्तीय संस्थाओं जैसे एल.आई.सी. , जी.आई.सी. , नाबार्ड, एन.सी.डी.सी. आदि के विरुद्ध बकाया राशि ` 642.69 करोड़ की थी । इस वर्ष इस मद में राशि ` 200 करोड़ की प्राप्ति तथा ` 156.90 करोड़ की चुकौती अनुमानित है । आगामी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर राशि ` 1079.38 करोड़ का स्टॉक अपेक्षित है ।

(घ) अदेय देयतायें - बाजार ऋण तथा अन्य दायित्व - वर्ष 2009-10 की समाप्ति पर बाजार ऋण तथा अन्य दायित्व राशि ` 3086.08 करोड़ का था । वर्ष 2010-11 हेतु इस मद में राशि ` 1711.86 करोड़ की शुद्ध प्राप्ति अनुमानित है । आगामी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इस मद में राशि ` 6833.39 करोड़ का स्टॉक अपेक्षित है ।

(ङ) अन्य प्राप्तियाँ (शुद्ध) - अल्प बचत, सामान्य भविष्य निधि, आदि- वर्ष 2009-10 की समाप्ति पर इस मद में राशि ` 1998.37 करोड़ का स्टॉक उपलब्ध था । वर्ष 2010-11 में इस मद में राशि ` 380.00 करोड़ की शुद्ध प्राप्ति अनुमानित है ।

(च) ऋण तथा अग्रिम की वसूली - वर्ष 2009-10 की समाप्ति पर राज्य सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं/बोर्ड/निगमों को दिये गये उधार की राशि ` 1529.89 करोड़ की थी । इस वर्ष के दौरान अदा की गई राशि ` 995.47 करोड़ की थी । चालू वित्तीय वर्ष में इस मद में राशि ` 845.40 करोड़ की वसूली होने का अनुमान है । आगामी वित्तीय वर्ष हेतु इस मद में राशि ` 1096.27 करोड़ की वसूली का लक्ष्य रखा गया है ।

### 3. कुल व्यय -

#### (क) राजस्व खाता - (1) ब्याज भुगतान -

वर्ष	बाजार उधार	केन्द्र से ऋण	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	अल्पबचत, सामान्य भविष्य निधि, आदि	अन्य	कुल
2009-10 (लेखा)	172.61	177.67	44.98	149.32	550.28	1094.86
2010-11 (सं.अ.)	201.55	184.21	74.61	173.55	555.81	1189.73
2011-12 (ब.अ.)	228.33	195.76	75.12	203.55	600.58	1303.34

(2) प्रमुख आर्थिक सहायता - वर्ष 2009-10 के दौरान , जिन क्षेत्रों हेतु राज्य द्वारा प्रमुख रूप से आर्थिक सहायता प्रदान की गई है उनमें खाद्य, वन, उर्जा, कृषि, पशुपालन तथा उद्योग प्रमुख है । इन सभी क्षेत्रों हेतु राज्य शासन द्वारा कुल ` 1995.80 करोड़ का व्यय किया गया । चालू वित्तीय वर्ष हेतु विभिन्न क्षेत्रों के लिये ` 1852.19 करोड़ का व्यय अनुमानित है ।

राज्य शासन द्वारा दी जा रही प्रमुख आर्थिक सहायता मुख्यतः गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले तथा जरूरतमंद लोगों को तथा राज्य शासन द्वारा प्रारंभ की गई कुछ योजनाओं के अंतर्गत है ।

(3) वेतन - राजस्व व्यय में एक बड़ा हिस्सा वेतन पर होने वाले व्यय के रूप में होता है । राज्य शासन द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णयों तथा नियमित नियुक्ति के स्थान पर संविदा नियुक्ति, रिक्त पदों पर अधिशेष कर्मचारियों की नियुक्ति, नवीन पदों की आवश्यकता के आंकलन के आधार पर सहमति के फलस्वरूप राज्य शासन का वेतन पर होने वाला व्यय सीमित है । इसमें गत वर्षों में औसतन वार्षिक वृद्धि 12 प्रतिशत रही । आगामी वित्तीय वर्ष में वेतन-भत्ते आदि मद पर लगभग 22.50 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित की गई है ।

(4) पेंशन - राज्य में पेंशन पर होने वाला व्यय कुल राजस्व व्यय का 6.63 प्रतिशत है । राज्य के भविष्य के पेंशनरी दायित्वों को कम करने के लिये पेंशन निधि का गठन किया गया है । इसमें संचित निधि से राशि का अंतरण किया जाकर भारत सरकार के खजाना बिलों में धनवेष्टित किया जाता है । राज्य के पेंशन भार को कम करने के लिये नवम्बर, 2004 से शासकीय सेवकों के लिये अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है । यह राज्य शासन के पेंशनरी दायित्वों को कम करने में सहायक होगा ।

(5) अन्य - राजस्व व्यय की अन्य मदों में मुख्य रूप से कार्यालयीन व्यय, विभिन्न संस्थाओं को दिये जाने वाला अनुदान, पूंजीगत परिसंपत्तियों का संधारण व्यय आदि आते हैं । आयोजना राजस्व व्यय केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित पेटर्नों का कार्य निष्पादन होता है । इस मद में राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा वर्तमान में संचालित योजनाओं हेतु कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ है । नवीन योजनाओं के प्रारंभ करने पर व्यय में वृद्धि होना अपेक्षित है ।

### (ख) पूंजीगत खाता -

(1) ऋण और अग्रिम - राज्य शासन द्वारा आयोजना भिन्न तथा आयोजनागत ऋण विभिन्न बोर्ड, संस्थाओं और निगमों को विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्रदान किये जाते रहे हैं । राज्य शासन की योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु कुछ निगमों को रिवाल्विंग फंड के रूप में ऋण स्वीकृत किया जाता है जो कि उसी वित्तीय वर्ष में वसूल किया जाता है । अविभाजित राज्य की ऋण देयताओं के एकमुश्त निपटारे हेतु बजट के माध्यम से संबंधित संस्थाओं को ऋण उपलब्ध करवाया जाता है । इस राशि में गत वर्षों की तुलना में काफी कमी आयी है ।

(2) पूंजीगत परिव्यय - गैर आयोजना पूंजीगत व्यय, जो कि सिर्फ कुछ मदों में ही किया जाता है, आगामी वर्षों में अपरिवर्तनीय रहने का अनुमान है । विकासशील राज्य होने के कारण आयोजनागत पूंजी परिव्यय में सकल घरेलु उत्पाद के आधार पर आगामी वर्षों में वृद्धि होना

अनुमानित है । आगामी वर्ष में चालू वर्ष की तुलना में इस मद में लगभग 39.09 की वृद्धि अनुमानित की गयी है ।

4. सकल घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में वृद्धि - वर्तमान बाजार मूल्य पर जी.एस.डी.पी. में 11.57 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का अनुमान है ।

(ग) संवहनीयता का आंकलन -

(1) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन -

(क) वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान में सकल कर राजस्व जी.एस.डी.पी. का 12.52 प्रतिशत तथा वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिये क्रमशः 13 तथा 14 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है । इस अनुपात में कर प्रयासों के बेहतर अनुपालन से और अधिक वृद्धि किये जाने का प्रयास किया जावेगा ।

(ख) जैसा कि वृहद आर्थिक संरचनात्मक विवरण में दर्शाया गया है कि वर्ष 2008-09 में कृषि क्षेत्र की ऋणात्मक वृद्धि की तुलना में वर्ष 2009-10 में इस क्षेत्र में अनुमान से अधिक वृद्धि परिलक्षित हुई है । औद्योगिक क्षेत्र में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना में हो रही निरंतर वृद्धि तथा सेवा क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के कारण योगदान में निरंतर वृद्धि हुई है । राज्य की अर्थव्यवस्था पर इस बदलते स्वरूप में राजकोषीय नीति पर सामान्य प्रभाव पड़ेगा ।

(ग) गत वर्षों की तुलना में करेत्तर राजस्व में अपेक्षा के अनुरूप वृद्धि हुई है । करेत्तर राजस्व की मुख्य मदों में ब्याज प्राप्तियाँ, सार्वजनिक उपक्रम से प्राप्त अंशदान, वन, खनिज तथा सिंचाई कर से संबंधित प्राप्तियाँ आती हैं । राज्य का एक बड़ा क्षेत्र नक्सल प्रभावित होने से वन तथा खनिज संसाधन की प्राप्तियों में अपेक्षा के अनुरूप वृद्धि परिलक्षित नहीं हुई है । विभिन्न संस्थाओं को दिये गये उधार पर ब्याज तथा राज्य के रोकड़ शेष पर ब्याज के कारण करेत्तर राजस्व में वृद्धि परिलक्षित हुई है ।

सिंचाई मद में कर की दरों में वृद्धि के कारण इस वर्ष इस मद में अधिक प्राप्ति परिलक्षित हो रही है । सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा प्रत्येक वर्ष लाभांश घोषित न किये जाने के कारण भी इस मद में अनुमानित राशि का संग्रहण नहीं हो रहा है ।

(घ) केन्द्रीय करों के हिस्से में अनुमानित लक्ष्य राशि पूर्णतः कर संग्रहण पर आधारित है । गत वर्ष आर्थिक मंदी के कारण करों की संग्रहित राशि में भी प्रभाव पड़ा है । इस वर्ष मंदी के प्रभाव से उबरने के पश्चात करों के संग्रहण राशि में वृद्धि की संभावना है । आगामी

वित्तीय वर्ष में कर संग्रहण में बढ़ोत्तरी की संभावना के आधार पर ही वृद्धि का अनुमान किया गया है ।

(ड) गैर आयोजना राजस्व व्यय हेतु मुख्य मदों वेतन तथा पेंशन में गत वर्ष के अनुरूप आगामी वर्ष में भी अधिक वृद्धि अनुमानित की गई है । केन्द्र सरकार की ऋण समेकन तथा राहत योजना के तहत केन्द्रीय ऋणों के समेकन से ब्याज भुगतान में कमी आयी है परन्तु राष्ट्रीय अल्प बचत को जारी प्रतिभूतियों के एवज में प्राप्त होने वाले ऋण पर ब्याज दरों में कमी न किये जाने के कारण राज्य के ब्याज भुगतान की देयता में अपेक्षित कमी परिलक्षित नहीं हो रही है । गैर आयोजना व्यय की वार्षिक वृद्धि दर 10.74 प्रतिशत पर सीमित किया गया है । पेंशन तथा वेतन पर होने वाला व्यय राज्य के कुल आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का 55.35 प्रतिशत है ।

(च) राजकोषीय उत्तरदायित्व और ब्याज प्रबंधन अधिनियम, 2005 में निहित प्रावधानों के अनुरूप आगामी वर्ष राजस्व अधिशेष के लक्ष्य का बजट में अनुमान किया गया है । राजस्व आय तथा व्यय के मध्य संतुलन का पूर्ण प्रयास किया गया है । गैर आयोजना राजस्व व्यय में वृद्धि दर गत वर्षों के अनुरूप आगामी वर्षों में भी सीमित रखने का लक्ष्य है ताकि इससे होने वाले राजस्व अधिशेष को पूंजीगत कार्यों में व्यय किया जा सके ।

## (2) उत्पादक आस्तियों के सृजन के लिये बाजार उधारों सहित पूंजीगत प्राप्तियों का प्रयोग-

(क) गत वर्षों में कर प्रयासों के फलस्वरूप राज्य की राजस्व आय में अपेक्षा से अधिक वृद्धि होने के फलस्वरूप राजस्व अधिशेष की स्थिति निर्मित हुई है । इस स्थिति में राज्य द्वारा लिये जाने सभी प्रकार के उधारों का पूर्णतः उपयोग पूंजीगत आस्तियों के निर्माण हेतु ही किया जा रहा है । विभिन्न अधोसंरचनात्मक कार्यों के लिये राज्य द्वारा पूर्व वर्षों तक ऋण सीमा के तहत ही ऋण राशि का उपयोग किया गया है । आगामी वर्षों हेतु भी ऋण राशि का शत-प्रतिशत उपयोग पूंजीगत निर्माण हेतु किये जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

(ख) अन्य पूंजीगत प्राप्तियों में ऋण तथा अग्रिम की वसूली मद आता है । इस मद में अपेक्षित वृद्धि लाने के पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं । इस मद में प्राप्ति का उपयोग पूंजीगत परिव्यय में ही किया जाता है ।

(ग) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 का मुख्य उद्देश्य राज्य में राजस्व अधिशेष की स्थिति लाते हुये वित्तीय घाटा को सीमित करना है तथा राज्य के वित्तीय घाटे के अवयवों में परिवर्तन लाना है । राजस्व अधिशेषों में वृद्धि करने से पूंजीगत निर्माण कार्यों में वृद्धि होगी ।

3. आगामी दस वर्षों के लिये औसत वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर आंकी गयी अनुमानित वार्षिक देयतायें -

गत तीन वर्षों से राज्य के पेंशन दायित्व में औसतन 29 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि रही है। इस वृद्धि के आधार पर आगामी दस वर्षों में पेंशन पर होने वाला व्यय निम्नानुसार अनुमानित है -

राशि ` करोड़ में

वर्ष	पेंशनरी भुगतान
2011-2012	1621.90
2012-2013	2096.95
2013-2014	2711.15
2014-2015	3505.25
2015-2016	4531.94
2016-2017	5859.34
2017-2018	7575.54
2018-2019	9794.42
2019-2020	12663.20
2020-2021	16372.25
2021-2022	21167.69